# न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री रेखा गुर्जर (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 21/2021

दायर दिनांक :– 01.02.2021

निर्णय दिनांक :– 25.03.2022

**उनवान**

01. सुप्यार बेवा ओनाड सिंह जाति राजपूत निवासी कोठिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

**——वादीया**

**बनाम**

01. सुरेन्द्र सिंह पुत्र बगडावत सिह जाति राजपूत निवासी कोठिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
02. भवानी सिंह पुत्र रामपत सिंह जाति राजपूत निवासी कोठिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
03. अभय सिंह पुत्र रणमल सिंह जाति राजपूत निवासी कोठिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
04. गुलाब बेवा रणमल सिंह जाति राजपूत निवासी कोठिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
05. कृष्ण पुत्र रामसिंह पौत्र रणमल सिंह जाति राजपूत निवासी कोठिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
06. किरण बेवा रामसिंह पुत्रवधु रणमल सिंह जाति राजपूत निवासी कोठिया तहसील बानसूर जिला अलवर
07. सुखवीर सिंह पुत्र मनोहर सिंह पौत्र रणमल सिंह जाति राजपूत निवासी कोठिया तहसील बानसूर
08. बीना बेवा मनोहर सिंह पुत्रवधु रणमल सिंह जाति राजपूत निवासी कोठिया तहसील बानसूर जिला अलवर
09. सुनीता बेवा जगत सिंह पुत्रवधु रणमलसिंह जाति राजपूत निवासी कोठिया तहसील बानसूर जिला अलवर
10. दीपक सिंह पुत्र जगत सिंह पौत्र रणमल सिंह जाति राजपूत निवासी कोठिया तहसील बानसूर
11. दिनेश सिंह पुत्र जगतसिंह पौत्र रणमल सिंह जाति राजपूत निवासी कोठिया तहसील बानसूर
12. नमो कंवर पुत्री जगतसिंह पौत्री रणमल सिंह पत्नी पप्पू सिंह निवासी ढाणी जाटाला तन टोडा पोस्ट टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0
13. पूजा कॅवर पुत्री जगतसिंह पौत्री रणमल सिंह पत्नी किशन सिंह निवासी ढाणी जाटाला तन टोडा पोस्ट टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0

**——प्रतिवादीगण असल**

14. श्रीमान तहसीलदार महोदय, बहैसियत लैण्ड होल्डर बानसूर जिला अलवर राज0

**——तरतीबी प्रतिवादीगण**

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

**वाद घोषणात्मक एवं दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड**

**अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**उपस्थित अधिवक्तागणः–**

01. वादीयाः– श्री छाजू सिंह तँवर एड., श्री मुकेश सिंह शेखावत एड.

02. प्रतिवादीगणः– पैरोकार सरकार

# निर्णय

आज यह पत्रावली मेरे समक्ष वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 216 रकबा 1.2100 हैक्टेयर, 435 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, 436 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, 437 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, 372 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, 497 रकबा 0.6700 हैक्टेयर वाके मौजा कोठिया तहसील बानसूर दावा हाजा में विवादित आराजी है दावा मे आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया है। वाद पत्र के पैरा नम्बर 01 में अंकित विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 216 रकबा 1. 2100 हैक्टेयर गत खसरा नम्बर 162 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, 435 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, 436 रकबा 0. 0500 हैक्टेयर, 437 रकबा 0.3200 हैक्टेयर गत खसरा नम्बर 323 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, 372 रकबा 0.2500 हैक्टेयर गत खसरा नम्बर 218 रकबा 1 बीघा, 497 रकबा 0.6700 हैक्टेयर गत आराजी खसरा नम्बर 359 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा वाके मौजा कोठिया तहसील बानसूर से दौराने बन्दोबस्त सम्वत 2060 से बने है। वादीया एवं प्रतिवादीगण एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य है। विवादित आराजी वादीया एवं प्रतिवादीगण के बुजुर्ग श्योनारायण सिंह की खातेदारी की आराजी रही है। श्योनारायण सिंह की मृत्यु के बाद विवादित आराजी उसके चार पुत्र रामपत सिंह, सुगडसिंह, रणमल सिंह, ओनाड सिंह को विरासत मे मिली जो प्रत्येक विवादित आराजी के हिस्सा 1/4 के काबिज खातेदार हुये जैसा कि नकल जमाबन्दी सम्वत 2030 व 2034 से साबित है। विवादित आराजी के सह खातेदार औनाड सिंह जो विवादित आराजी के हिस्सा 1/4 का खातेदार था उसकी मृत्यु के बाद ओनाड सिंह का विरासत नामान्तकरण संख्या 52 बहक वादीया सुप्यार बेवा ओनाड सिंह राजपूत हिस्सा 1/4 स्वीकार हुआ, जिसका अंकन जमाबन्दी सम्वत 2034 मे है। परन्तु जमाबन्दी सम्वत 2038 तैयार करते समय प्रतिवादी नम्बर 14 तहसीलदार बानसूर के अधिनस्थ कर्मचारियों ने विवादित आराजी के कॉलम खातेदारी मे वादीया सुप्यार बेवा ओनाड सिंह का सही हिस्सा 1/4 के बजाय हिस्सा 1/5 दर्ज कर दिया तथा अन्य सहखातेदार रामपत सिंह, सुगडसिंह, रणमल सिंह पुत्रान श्योनारायण सिंह सम्भाग सहीं हिस्सा 3/4 के बजाय 4/5 दर्ज कर दिया जो मात्र लिपिकिय त्रुटी थी। परन्तु यह बाद मे बनाई गई जमाबन्दीयों मे भी रिपीट होती रही और विवादित आराजी मे वादीया का हिस्सा कम होकर

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

प्रतिवादीगण की खातेदारी मे दर्ज होता रहा और इस तरह वादीया व प्रतिवादीगण का भी विवादित आराजी में हिस्सा गलत व अस्पष्ट दर्ज चला आ रहा है। हाल आराजी खसरा नम्बर 435 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 436 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 437 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 323 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा वाके मौजा कोठिया से दौराने भू–प्रबन्ध सम्वत 2060 बने है। साबिक खसरा नम्बर 323 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा मे लोयती से नागंल लाखा तक जाने वाली सडक निकल जाने के कारण सडक के अलावा खसरा नम्बर 323 दो भागो मे विभक्त हो गया। दौराने बन्दोबस्त सम्वत 2060 बन्दोबस्त कर्मचारियों ने मुताबिक मौका साबिक खसरा नम्बर 323 के 3 नये खसरा नम्बर बनाते हुये गैर मुमकिन सडक का खसरा नम्बर 436 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, कायम कर दिया तथा सडक के उत्तर मे खसरा नम्बर 437 एवं सडक के दक्षिण में खसरा नम्बर 435 कायम कर दिये परन्तु लिपिकीय भूलवंश सडक के उत्तर में खसरा नम्बर 437 जो मौके पर 0.1500 हैक्टेयर का है उसका रकबा 0.3200 हैक्टेयर दर्ज कर दिया तथा सडक के दक्षिण में खसरा नम्बर 435 जो मौके पर 0.3200 हैक्टेयर है उसका रकबा 0.1500 हैक्टेयर दर्ज कर दिया विवादित आराजी खसरा नम्बर 435, 436, 437 का नक्शा देखने मात्र से स्पष्ट हो जाता है कि राजस्व कर्मचारियों ने खसरा नम्बर 437 जो नक्शे एंव मौके पर कम है उसका रकबा ज्यादा और खसरा नम्बर 435 जो नक्शे व मौके पर ज्यादा है उसका रकबा कम दर्ज कर दिया। राजस्व कर्मचारियों की उपरोक्त त्रुटी काबिल दुरूस्ती है। खसरा नम्बर 435 का रकबा 0.3200 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 437 का रकबा 0.1500 हैक्टेयर दर्ज करवाया जावे। विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी सम्वत 2072 के कॉलम खातेदारी मे जगत सिंह पुत्र रणमल सिंह का नाम दर्ज है। परन्तु जगत सिंह की मृत्यु हो गई है, जिसके जायज वारिसान प्रतिवादीगण 8 लगायत 12 है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2030 व 2034 एवं मुताबिक सजरा परिवार एवं मुताबिक कब्जा मौका वादीया हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 01 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 02 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 03 हिस्सा 1/20, प्रतिवादी संख्या 04 हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण 07, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20 के काबिज खातेदार है तथा अपने उपरोक्त हिस्से अनुसार ही विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 372 रकबा 0.2500 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 02 का बुजुर्गानी हिस्सा 1/4 है और उसने प्रतिवादी संख्या 01 सुरेन्द्र सिंह का बुजुर्गानी हिस्सा 1/4 खरीद किया। आराजी खसरा नम्बर 372 रकबा 0.2500 हैक्टेयर मे प्रतिवादी संख्या 02 भवानी सिंह का हिस्सा 1/2 दर्ज होना चाहिए था परन्तु ताहाल खिलाफ कानून खिलाफ कब्जा मौका 8/15 दर्ज है जो काबिले दुरुस्ती है। हाल आराजी खसरा नम्बर 497 रकबा 0.6700 हैक्टेयर मे प्रतिवादी संख्या 01 सुरेन्द्रसिंह का बुजुर्गानी हिस्सा 1/4 है और उसने प्रतिवादी संख्या 02 भवानी सिंह बुजुर्गानी हिस्सा 1/4 खरीद किया है। खसरा नम्बर 497 रकबा 0. 6700 हैक्टेयर मे प्रतिवादी संख्या 01 सुरेन्द्र सिंह का हिस्सा 1/2 दर्ज होना चाहिए था परन्तु ताहाल खिलाफ कानून खिलाफ कब्जा मौका 8/15 दर्ज जो काबिले दुरुस्ती है। वादीया माह फरवरी 2016 के शुरू

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

मे क्रेडिट कार्ड बनवाने के सिलसिले मे पटवारी हल्का कोठीया से मिले तो उन्हे राजस्व रिकार्ड मे उनके हिस्से मे हुई उक्त त्रुटी की जानकारी हुई जिसके बाद वादीया ने राजस्व रिकार्ड निकलवा कर प्रतिवादीगण को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाने हेतु कहा परन्तु दिनांक 10.03.2015 को प्रतिवादीगण ने राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाने से इन्कार कर दिया। तहसीलदार बानसूर के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है तहसीलदार बानसूर को मात्र बहैसियत लैण्ड होल्डर पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। वादीया सुप्यार, प्रतिवादीगण सुरेन्द्र सिंह, भवानी सिंह, गुलाब सिंह, जगत सिंह, किरण, सुखबीर सिंह का हिस्सा बैक रहन है। परन्तु मौजूदा वाद वादीया एवं प्रतिवादीगण के हिस्से मे हुई लिपिकिय त्रुटी की दुरूस्ती हेतु ही पेश है जिसमे संबंधित बैको के हित पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा इसलिए उन्हे पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। डिक्री घोषणात्मक बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 13 हाल आराजी खसरा नम्बर 216 रकबा 1.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, ,खसरा नम्बर 436 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 437 रकबा 0.3200 हैक्टेयर वाके मौजा कोठिया तहसील बानसूर मे वादीया को हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 01 को हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 02 को हिस्सा 1/4 एंव प्रतिवादी संख्या 03 को हिस्सा 1/20 प्रतिवादी संख्या 04 को हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 को बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण संख्या 07 व 08 को बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20 तथा प्रतिवादीगण 9, 10, 11, 12, 13 को बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20 का काबिज खातेदार घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 हाल आराजी खसरा नम्बर 372 रकबा 0.2500 हैक्टेयर वाके मौजा कोठीया तहसील बानसूर में वादीया को हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 02 को हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 03 को हिस्सा 1/20 प्रतिवादी संख्या 04 को हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 को बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण 07 व 08 को बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20 तथा प्रतिवादीगण 09, 10, 11, 12, 13 को बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20 का काबिज खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 13 हाल आराजी खसरा नम्बर 497 रकबा 0.6700 हैक्टेयर वाके मौजा कोठिया मे वादीया को हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 01 को हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 03 को हिस्सा 1/20 प्रतिवादी संख्या 04 को हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 को बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण संख्या 07 व 08 को बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20 तथा प्रतिवादीगण 09, 10, 11, 12, 13 को बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20 का काबिज खातेदार घोषित किया जावे। वादीया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 14 पारित कर मौजा कोठिया तह0 बानसूर के हाल आराजी खसरा नम्बर 435 का रकबा 0.1500 हैक्टेयर के बजाय 0.3200 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 437 का रकबा 0.3200 हैक्टेयर के बजाय 0.1500 हैक्टेयर घोषित किया जावें व मुताबिक घोषणा राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में अंकन करवाया जावें।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

वाद पत्र दर्ज पंजिका किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 14 की और से कोई भी उपस्थित नहीं आया जिनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वादीया ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रर्दश 01 लगायत 03 नकल जमाबन्दी सम्वत 2072—75 खाता संख्या 67, 68, 95, प्रर्दश 04 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2068—71, प्रर्दश 05 नकल नक्शा ट्रेश सम्वत 2056, प्रर्दश 06 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2060, प्रर्दश 07 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2060, प्रदर्श 08 नकल जमाबन्दी सम्वत 2030, प्रदर्श 09 नकल जमाबन्दी सम्वत 2034, प्रर्दश 10 नकल जमाबन्दी सम्वत 2038, प्रदर्श 11 नकल जमाबन्दी सम्वत 2043, प्रर्दश 12 नकल जमाबन्दी सम्वत 2047, प्रर्दश 13 नकल जमाबन्दी सम्वत 2051, प्रदर्श 14 नकल जमाबन्दी सम्वत 2055, प्रदर्श 15 नकल जमाबन्दी सम्वत 2060 पेश किये है तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.डब्ल्यु 01 सुप्यार, पी डब्ल्यु 02 रधुनाथ सिंह के शपथ पत्र पेश किये। प्रतिवादी पैरोकार सरकार की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई।

हमने पत्रावली का व वादीया द्वारा वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात तथा शपथ पत्रों का गहनता से अवलोकन एंव अध्ययन किया। वादीया ने अपने वाद के समर्थन में पेश किये दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी, नक्शा ट्रेश, मिलान क्षेत्रफल व मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्रों से यह साबित होता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 216 रकबा 1.2100 हैक्टेय, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 436 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 437 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, मे वादीया का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 02 का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 03 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादी संख्या 04 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण 07 व 08 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20 तथा प्रतिवादीगण 09, 10, 11, 12, 13 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20, तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 372 रकबा 0.2500 हैक्टेयर मे वादीया का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 02 का हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 03 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादी संख्या 04 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण संख्या 07 व 08 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20 तथा प्रतिवादीगण 09, 10, 11, 12, 13 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20 व हाल आराजी खसरा नम्बर 497 रकबा 0.6700 हैक्टेयर मे वादीया का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 03 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादी संख्या 04 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण 07 व 08 का

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20 तथा प्रतिवादीगण 09, 10, 11, 12, 13 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20 तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 435 का रकबा 0.1500 हैक्टेयर के बजाय 0.3200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 437 का रकबा 0.3200 हैक्टेयर के बजाय 0.1500 हैक्टेयर है। जो दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः समस्त विवेचन के बाद वादीया का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## आदेश

अतः वादीया का वाद स्वीकार कर आदेश है की हाल आराजी खसरा नम्बर 216 रकबा 1.2100 हैक्टेय, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 436 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 437 रकबा 0.3200 हैक्टेयर वाके मौजा कोठिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 मे वादीया का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 02 का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 03 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादी संख्या 04 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण 07 व 08 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20 तथा प्रतिवादीगण 09, 10, 11, 12, 13 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20, तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 372 रकबा 0.2500 हैक्टेयर वाके मौजा कोठिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 मे वादीया का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 02 का हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 03 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादी संख्या 04 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण संख्या 07 व 08 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20 तथा प्रतिवादीगण 09, 10, 11, 12, 13 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20 व हाल आराजी खसरा नम्बर 497 रकबा 0.6700 हैक्टेयर वाके मौजा कोठिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 मे वादीया का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 03 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादी संख्या 04 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण 07 व 08 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20 तथा प्रतिवादीगण 09, 10, 11, 12, 13 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20 का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाता है। तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 435 का रकबा 0.1500 हैक्टेयर के बजाय 0.3200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 437 का रकबा 0.3200 हैक्टेयर के बजाय 0.1500 हैक्टेयर दुरूस्त किया जावे। तथा शेष इन्द्राजात यथावत रहें। आदेश की पालना में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

यह निर्णय आज दिनांक 25.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

# न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री रेखा गुर्जर (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 21 / 2021

दायर दिनांक :– 01.02.2021

निर्णय दिनांक :– 25.03.2022

**उनवान**

01. सुप्यार बेवा ओनाड सिंह जाति राजपूत निवासी कोठिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

**——वादीया**

**बनाम**

01. सुरेन्द्र सिंह पुत्र बगडावत सिह जाति राजपूत निवासी कोठिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
02. भवानी सिंह पुत्र रामपत सिंह जाति राजपूत निवासी कोठिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
03. अभय सिंह पुत्र रणमल सिंह जाति राजपूत निवासी कोठिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
04. गुलाब बेवा रणमल सिंह जाति राजपूत निवासी कोठिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
05. कृष्ण पुत्र रामसिंह पौत्र रणमल सिंह जाति राजपूत निवासी कोठिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
06. किरण बेवा रामसिंह पुत्रवधु रणमल सिंह जाति राजपूत निवासी कोठिया तहसील बानसूर जिला अलवर
07. सुखवीर सिंह पुत्र मनोहर सिंह पौत्र रणमल सिंह जाति राजपूत निवासी कोठिया तहसील बानसूर
08. बीना बेवा मनोहर सिंह पुत्रवधु रणमल सिंह जाति राजपूत निवासी कोठिया तहसील बानसूर जिला अलवर
09. सुनीता बेवा जगत सिंह पुत्रवधु रणमलसिंह जाति राजपूत निवासी कोठिया तहसील बानसूर जिला अलवर
10. दीपक सिंह पुत्र जगत सिंह पौत्र रणमल सिंह जाति राजपूत निवासी कोठिया तहसील बानसूर
11. दिनेश सिंह पुत्र जगतसिंह पौत्र रणमल सिंह जाति राजपूत निवासी कोठिया तहसील बानसूर
12. नमो कंवर पुत्री जगतसिंह पौत्री रणमल सिंह पत्नी पप्पू सिंह निवासी ढाणी जाटाला तन टोडा पोस्ट टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0
13. पूजा कॅवर पुत्री जगतसिंह पौत्री रणमल सिंह पत्नी किशन सिंह निवासी ढाणी जाटाला तन टोडा पोस्ट टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0

**——प्रतिवादीगण असल**

14. श्रीमान तहसीलदार महोदय, बहैसियत लैण्ड होल्डर बानसूर जिला अलवर राज0

**——तरतीबी प्रतिवादीगण**

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

**वाद घोषणात्मक एवं दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड**

**अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**उपस्थित अधिवक्तागणः–**

01. वादीयाः– श्री छाजू सिंह तॅवर एड.

02. प्रतिवादीगणः– पैरोकार सरकार

## पर्चा डिक्री

अतः वादीया का वाद स्वीकार कर आदेश है कि की हाल आराजी खसरा नम्बर 216 रकबा 1.2100 हैक्टेय, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 436 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 437 रकबा 0.3200 हैक्टेयर वाके मौजा कोठिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 मे वादीया का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 02 का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 03 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादी संख्या 04 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण 07 व 08 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20 तथा प्रतिवादीगण 09, 10, 11, 12, 13 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20, हाल आराजी खसरा नम्बर 372 रकबा 0.2500 हैक्टेयर वाके मौजा कोठिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 मे वादीया का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 02 का हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 03 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादी संख्या 04 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण संख्या 07 व 08 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20 तथा प्रतिवादीगण 09, 10, 11, 12, 13 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20 व हाल आराजी खसरा नम्बर 497 रकबा 0.6700 हैक्टेयर वाके मौजा कोठिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 मे वादीया का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 03 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादी संख्या 04 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20, प्रतिवादीगण 07 व 08 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20 तथा प्रतिवादीगण 09, 10, 11, 12, 13 का बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/20 का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाता है। तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 435 का रकबा 0.1500 हैक्टेयर के बजाय 0.3200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 437 का रकबा 0.3200 हैक्टेयर के बजाय 0.1500 हैक्टेयर इसी कदर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। शेष इन्द्राजात यथावत रहें।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)